

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,**  
**NEW DELHI**

O.A. No 1360 of 2024

In the matter of:

Prem Prakash Thapliyal

...Applicant

Versus


State of Uttarakhand & Ors

...Respondents

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Additional reply by way of affidavit on behalf of respondent no 2. Director, Directorate of Geology and Mining, State of Uttarakhand.	1-11
2.	Annexure A Copy of the LOI's issued to 7 Successful bidders	12-25
3.	Annexure B Copy of the amendment of Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules-2023 dated 08 October 2024	26-35
4.	Annexure C Copy of the order dated 05.12.2024 passed by Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) no 184 of 2024 titled as Satendra Singh Panwar versus State of Uttarakhand	36-41
5.	Annexure D Copy of the notification dated 15 Jan 2016	42-53

Dated: 24.03.2026

  
Adv Anjali Rajput

Counsel for Respondent no.3

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,  
NEW DELHI**

O.A. No 1360 of 2024

In the matter of:

Prem Prakash Thapliyal

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors

...Respondents


**ADDITIONAL REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
RESPONDENT NO. 2, DIRECTOR, DIRECTORATE OF GEOLOGY AND  
MINING, STATE OF UTTARAKHAND.**

Most respectfully showeth:

I Rajpal Legha Aged about 46 years S/o Sh Chandu Ram Legha, presently posted as Director, Directorate of Geology and Mining Department, Government of Uttarakhand hereby solemnly affirm on oath and state as under:

**Preliminary submissions:**

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply by way of affidavit.
2. It is submitted that the present affidavit is being filed on behalf of the respondent in addition to the affidavit already filed, to place on record certain documents and facts on record which have become necessary for proper adjudication of the issue involved in the present case. That the contents of the previously filed affidavit are not repeated herein for the sake of brevity.



*Rajpal Legha*

3. At the outset, it is respectfully submitted that all the mining leases in the State are granted strictly accordance with the applicable laws only after obtaining requisite statutory approvals and environment clearances.
4. It is submitted that the in pursuant to the tender notification 5244/DDN\_003 dated 20.11.2024, issued by Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Bids were invited for 7 Minor-Mineral Mining Lots from eligible bidders. The 7 Successful bidders were issued conditional letters of intent (LOI's) to complete the demarcation process, approval of the mining plan, obtaining Environment Clearance and NBWL permission within six month for sanctioning of mining lease for respective lots. It is submitted that as of date, no mining activity has commenced on any of the said lots, as the successful bidders are yet to comply with the requisite terms and conditions stipulated under LOI's including statutory clearances. Copy of the LOI's issued to 7 Successful bidders is annexed herewith as **Annexure A**.
5. That as per Rule 31 (9) Uttarakhand Minor Minerals(Concession) Rules-2023 was amended on 09 October 2024:

Insertion of Sub-rule (9) to Rule 31.	<p>10. After sub-rule (8) of rule 31 of Chapter V of the principal rules, sub-rule (9) shall be inserted as follows, namely:-</p> <p>Rule 31 - Mining operations to commence within one month:-</p> <p>(9) In such Minor-mineral areas approved on the basis of Letter of Intent, where due to some reasons, it is likely to take time to obtain the required permissions within the stipulated time, till such permission is obtained, the cleaning/removal of</p>
---------------------------------------	---



*[Handwritten Signature]*

	<p>debris/RBM in the rivers will be done under the River Dredging Policy. In case, the concerned Letter of Intent holder is willing to do the river dredging work himself, then permission can be given by the Government on the recommendation of the Director General/Director on depositing an amount equivalent to 2 times the royalty and other taxes as per the rules. In case the Letter of Intent holder is not willing, the river dredging work will be done as per the relevant provisions of the Uttarakhand River Dredging Policy effective from time to time.</p>
--	--

6. That addition of this sub-rule 9 to rule 31, ensures that while the commencement of the mining operations are delayed due to time required to obtain statutory permissions, the rivers and surrounding environment are not adversely affected. Permissions can be sought for a maximum period of 06 months By Letter of Intent holders by depositing an amount equivalent to twice the royalty to the Government. Copy of the amendment of Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules- 2023 dated 09 October 2024 is annexed herewith **as annexure B.**

As per the Point - 06 Uttarakhand River dredging policy 2021 the river dredging permit will be for a period of maximum 06 six month.

For minor mineral areas approved under a Letter of Intent—where, for any reason, the acquisition of requisite permits is likely to be delayed beyond the stipulated timeframe—the cleaning or extraction of debris/RBM from rivers shall be undertaken in accordance with the River Dredging Policy until such permits are formally obtained. In the




event that the concerned Letter of Intent holder expresses a desire to undertake the river dredging operations personally, and upon the deposit of an amount equivalent to twice the applicable royalty—along with other taxes as per regulations—permission may be granted by the State Government, subject to the recommendation of the Director General or Director. Conversely, should the Letter of Intent holder not wish to undertake the operations, the river dredging process shall be executed in strict compliance with the relevant provisions of the Uttarakhand River Dredging Policy, as in force from time to time.

7. It is respectfully submitted that the validity of addition of Sub-Rule (9) to Rule 31 of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 is challenged before the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) no 184 of 2024 titled as Satendra Singh Panwar Versus State of Uttarakhand. Copy of the order dated 05.12.2024 passed by Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) no 184 of 2024 titled as Satendra Singh Panwar Versus State of Uttarakhand along with current case status is annexed herewith as Annexure C.

**Para Wise reply to the rejoinder of the applicant:**


1. The contents of Para 1 are a matter of record and need no reply.
2. That the contents of the Para 2, are denied, except to the averments made relating to the proceedings of the case. It is specifically denied that the impugned tender notification seeks to permit mining activity in contravention of the binding Doon Valley Notification, 1989 or to violation of any binding directions of Hon'ble Supreme Court, the High Court of Uttarakhand and this Hon'ble Tribunal. It is submitted that no mining activity has been commenced in violation of the Statutory



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anurag Singh".

permissions or in violation of the environmental norms. It is further submitted that the issue raised, is misconceiving, misleading and baseless, inasmuch there is no blanket ban on Mining Activity in Doon Valley region or within 10 Km of the Asan Conservation Reserve.

3. That the contents of Para no 3 are admitted to the extent that Doon Valley has been declared an eco-sensitive area by virtue of the Doon Valley Notification dated 01.02.1989, issued under Section 3(2)(v) of the Environment (Protection) Act, 1986. It is denied that there is any blanket ban on mining activity in the region, on the contrary mining operations are permitted subject to several mandatory environmental permissions from competent authorities.
4. That the contents of Para no 4 are denied, save and except those which are matter of record. It is denied that having failed to demonstrate how any new rules or notifications would override the existing statutory and judicial prohibitions on mining in the DoonValley. It is submitted that all the actions have been taken under strictly in compliance of applicable statutory provisions, judicial pronouncements and mandatory environmental compliances. It is denied that prior approvals from the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and clearance from the National Board for Wildlife for areas within 10 km of the Conservation Reserve and Environmental Impact Assessment, site-specific studies, was required at the stage of issuance of tender notification. It is submitted that there is no requirement of such approvals at the stage of issuance of Tender notification or Letter of Intent. All the necessary approvals are required in compliance of LOI at the stage prior to the sanction of mining lease and commencement of the mining actives, and a specific condition to this effect is provided in the



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bhavna Rani', written over the bottom right portion of the notary seal.

LOI at point no. 3. Thus, absence of the approvals at the stage of tender notification and LOI's is misconceived and pre-mature.

It is denied that the state is attempting to rely on the state rules or to re-categories mining contrary to central notifications is misconceived and incorrect. It is submitted that the state rules do not override any binding central notifications or court directions, instead, they are incorporated in the rules and strictly adhered to.

It is submitted that as per rule 25 (4) of Uttarakhand

*The intent holder shall get the approvals for his mining areas under the letter of intent, from ministry of environment forest and climate change Government of India, as per the provision of E.I.A. dated 14.09.2006, the environment clearance, the permission from NBWL in case the sanction areas is within the boundaries of 10 km of National Park/Sanctuary and in case of land being forest land, the forest clearance for land transfer under the Forest Conservation Act 1980, and the minerals existing in other areas of revenue/forest land, other than river bed, the prospecting report and other required approvals and standards which are prescribed by the state government from time to time will be obtained.*

Copy of the rules is already placed on record at page no 128.

The averment that impugned tender notification and all consequential mining activities are liable to be quashed, and a blanket ban on mining in the Doon Valley is wholly misconceived, baseless and not supported by any binding judicial precedent.

5. That the contents of Para no 4 to 9 are denied, save and except those which are matter of record. It is submitted that reply to this para has



already been addressed in preliminary submissions herein and in the previously filed affidavit, which may be read as part and parcel to the reply of this para and is not repeated herein for the sake of brevity

6. That the contents of Para no 10 are denied, save and except those which are matter of record. It is denied that the Respondents have granted mining rights in violation of statutory provision or judicial directions. It is submitted that tender notification/ LOI's are preliminary permissions and subject to statutory permissions and environmental clearances and no mining operation can be undertaken without obtaining such approvals.
7. That the contents of Para no 11 are matter of record and needs no reply.
8. That the contents of Para no 12 are denied, save and except those which are matter of record. It is submitted that the applicant's averment that tender inviting bidders stands vitiated on basis of earlier judgement is wrong misconceived and baseless. It submitted that the present lots were also subject matter of the Judgement passed by this Hon'ble Tribunal dated 17.07.2025. However, the issue addressed by this Hon'ble tribunal in that matter pertain to entirely different legal issue. That the present tender process is issued afresh in accordance with the applicable rules and provisions.
9. That the contents of Para no 13 are denied, save and except those which are matter of record. It is submitted that issuance of the tender at preliminary stage which is subject to statutory permissions and mandatory environmental clearances and no mining operation can be undertaken without obtaining such approvals in doon valley region. It is submitted herein that the proposed site falls within the Asan Conservation Reserve and requisite permissions are mandatory before commencement of any mining operations. It is also submitted herein



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the bottom right portion of the text.

present mining lots fall within the category of cluster mining of minor minerals. That appendix-XI Moef& CC notification dated 15 January 2016 amending 2006 EIA notification, specifies for procedure for EC for mining of Minor minerals including Cluster mining specifies:

*(4). Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.*

*(5). The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance's of individual project proponents in that cluster.*

In accordance with the above provision, at the time of obtaining environmental clearance, the project proponent obtains a cluster certificate from the District Mining Officer of the concerned district and submits it to the competent authority.

Copy of the notification dated 15 Jan 2016 is Annexed herewith as Annexure D.



10. That the contents of Para no 14 are denied factually incorrect, misleading, and unsupported by evidence. It is denied that Herculine efforts are being made to distribute mining rights to the highest bidder and cause extreme environmental degradation in the Doon valley while bypassing the law. It is submitted that the activities in doon valley region are undertaken strictly in compliance of the applicable rules, environmental clearances and directions of the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and this hon'ble tribunal.

11. That the contents of Para no 15 are denied factually incorrect, misleading, and unsupported by evidence. It is Submitted that as per Rules 8(b), 25(4), 31, and 44 of the Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 (as amended from time to time) provide for the procurement of a Mining Plan; Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006; permission from the National Board for Wildlife (NBWL) in cases where the mining lot falls within a 10-kilometer radius of a National Park or Wildlife Sanctuary; Forest Clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980, in cases involving forest land; and permission in the form of 'Consent to Establish' and 'Consent to Operate' from the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board. Accordingly, permission for the grant or operation of a mining lease within the State territory is accorded only after the receipt of all the requisite permissions.

It is respectfully submitted that the allegation concerning Annexure K, i.e., the letter dated 09.08.2024, of the answering respondent is misconstrued, the said annexure has to be read in light of Rule 16 of The Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 and annexure I and k of the previously filed affidavit.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anurag Singh', written over the bottom right portion of the text.

12. That in reply to the contents of Para no 16 it is submitted that once the LOI is issued it is for the LOI holder to obtain requisite clearances from the competent authorities and unless the mandatory environmental clearances are obtained no mining is allowed.
13. That the contents of Para no 17 is denied except to the facts which are matter of record. It is submitted *Rural Litigation & Entitlement Kendra vs. State of Uttar Pradesh & Ors.* Hon'ble Supreme court issued directions with respect to limestone mining and quarrying, taking into their impact on ecosystem of Doon Valley. It is further submitted that reference to the confined to the environmental hazards posed by limestone extraction is not intended to suggest the scope of the judgement, rather, it is made to highlight the primary issue addressed by the Hon'ble Supreme court. in the case.
14. That the contents of Para no 18 are denied factually incorrect, misleading, and misconceived. It is respectfully submitted that the reference to various policies and rules have been made to show that the tender notification has been issued in accordance with the Statutory provisions mandating environmental clearances from competent authority following due process.
15. That the contents of Para no 19 are denied, factually incorrect, misleading, and unsupported by evidence. It is submitted that mining activities are permitted in Doon Valley Notification 1989 and subsequent amendments. That mining industries have been classified as *red category* in EIA and CPCB notifications.
16. That the contents of Para no 20 are wrong and denied, except to the facts which are matter of record. It is denied that the short term re-tender notification is ultra virus to section 3(2)(v) of the Environment Protection



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anurag Singh", written over the bottom right portion of the notary seal.

Act 1986. It is submitted that the tender notification is issued in accordance to the statutory rules subject to the mandatory environmental permission.

17. That the contents of Para no 21 to 25 are wrong and misconceived. It is submitted that Rule 20(1) Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules- 2023 does not override the Central Government's Doon Valley Notification and the same has been answered in the paragraphs above. It is further submitted that the statutory rules and mandatory environmental clearances are strictly adhered to before starting any mining activity.


18. It is most humbly submitted that the Deponent is committed and will take all necessary actions to follow the orders of this Hon'ble Tribunal, in letter and in spirit.



Deponent

Verification:

Verified in Dehradun on this day of March, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct and no part of it is false material has been concealed the refrom.



Deponent



ATTESTED  
S.N.1 24/3/26  
(BHAVNA RANI)  
Advocate & NOTARY  
Chamber No. 33,  
Civil Court Compound, Dehradun  
Mob.-8126603279

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 6966 / उपखण्ड (ईनि)-V / भूखनिनि / 147 / 2024-25,

दिनांक 15 फरवरी, 2025

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977 / VII-A-1 / 2023-24ख / 2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4845 / 20ख0ला0 / ई0नी0 / वि0का0ज्ञ0 / भू0खनि0नि0 / 2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4855 / DDN\_007 / उपखण्ड (ईनि)-V / भू0खनि0नि0 / ई0नीला0 / 2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/5 के खसरा सं0 3968 रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 9898 रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध अवशेष क्षेत्रफल 20.00 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 10,80,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 7,58,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को खोली गयी, जिसकी तकनीकी निविदा में ऑनलाईन न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश दिनांक 20.11.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए निविदा आमंत्रण प्रपत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 को खोली गयी, जिसकी तकनीकी निविदा में ऑनलाईन न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश दिनांक 18.12.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही निरस्त की गयी तथा निविदा आमंत्रण संख्या 5823 / DDN\_007 / उपखण्ड(ईनि)-V / भू0खनि0नि0 / 2024-25, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को उपस्थित निविदादाताओं के सम्मक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 07 जनवरी, 2025 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 07 जनवरी, 2025 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 6307 / उपखण्ड(ईनि)-V / भू0खनि0निदेशा0 / 2024-25, दिनांक 07 जनवरी, 2025 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 7,66,80,000.00 (रू0 सात करोड़ छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,91,70,000.00 (रू0 एक करोड़ इकानबे लाख सत्तर हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,89,00,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 43053175694, दिनांक 26.12.2024, रू0 1,89,00,000.00 (रू0 एक करोड़ नवासी लाख मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,91,70,000.00-1,89,00,000.00 =2,70,000.00) रू0 2,70,000.00 (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के दिनांक रहित पत्र के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,91,70,000.00 ट्रेजरी चालान संख्या 08530125E0048932, दिनांक 29.01.2025 के द्वारा विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया गया है, की प्रति निदेशालय में उपलब्ध कराई गयी है, जिसके क्रम में पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 संख्या 43053175694, दिनांक 26.12.2024, रू0 1,89,00,000.00 मूल रूप में वापस कर दी गयी है।


उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर द्वारा प्रतिभूति धनराशि


उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/5 के खसरा सं0 3968 रकवा 6.828 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 9898 रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध अवशेष क्षेत्रफल 20.00 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की घनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2008 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0व्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रतत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

संख्या 6966/उप0ख0 (ईनि)-V/भू0खनि0नि0/147/2024-25, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर।

  
(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०/८

  
(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०/८

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 7254/उपखण्ड (ईनि)-V/भूखनिनि/144/2024-25,

दिनांक 28 फरवरी, 2025

आशय पत्र (Letter of Intent)


उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645/रखण्डला/ईनी/विकाण्ड/भूखनिनि/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655/DDN\_002/भूखनिनि/ईनीला/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी मण्डी गंगमेवा, यमुना नदी 21/3/2 के खसरा सं० 02, 936, 970, 971, 618 व 01, कुल रकवा 172.383 है० उपलब्ध अवशेष क्षेत्रफल 25.00 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 13,50,000 टन एवं आधार मूल्य रू० 9,45,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र, दिनांक 20.11.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244/DDN\_002/उखण्ड(ईनि)V/भूखनिनिदेशा/2024-25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (वृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स अम्बे इन्टरप्राइजेज, 46, रेसकोर्स, जनपद देहरादून H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5683/उखण्ड(ईनि)-V/भूखनिनिदेशा/2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 9,78,75,000.00 (रू० नौ करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू० 2,44,68,750.00 (रू० दो करोड़ चौवालीस लाख अडसठ हजार सात सौ पचास मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू० 9,45,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू० 2,36,25,000.00 के सापेक्ष पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 315196, दिनांक 03.12.2024, रू० 2,36,25,000.00 (रू० दो करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू० 2,44,68,750.00-2,36,25,000.00 =8,43,750.00) रू० 8,43,750.00 (रू० आठ लाख तैतालीस हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 21.12.2024 के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू० 2,44,68,750.00 ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0032537, दिनांक 16.12.2024, रू० 8,43,750.00, चालान संख्या 08531224E0045488, दिनांक 20.12.2024, रू० 2,00,00,000.00 एवं चालान संख्या 08531224E0046321, दिनांक 21.12.2024, रू० 36,25,000.00 निदेशालय में जमा की गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स अम्बे इन्टरप्राइजेज, 46, रेसकोर्स, जनपद देहरादून द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स अम्बे इन्टरप्राइजेज, 46, रेसकोर्स, जनपद देहरादून के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम ढकरानी मण्डी गंगमेवा, यमुना नदी 21/3/2 के खसरा सं० 02, 936, 970, 971, 618 व 01, कुल रकवा 172.383 है० उपलब्ध अवशेष क्षेत्रफल 25.00 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र में

उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 08 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

  
(राजपाल लेघा)  
निदेशक

संख्या 7254 /उप0ख0 (ईनि)-V/मू0खनि0नि0/144/2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. मैसर्स अम्बे इन्टरप्राइजेज, 46, रेसकोर्स, जनपद देहरादून।

  
(राजपाल लेघा)  
निदेशक

संख्या 6010 / उपखण्ड (ईनि)-V/भूखनि0नि0/143/2024-25,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645/र0ख0 लॉ0 /ई0नीला0/वि0का0इ0/भू0 खनि0नि0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापित हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655/DDN\_006/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/4 के खसरा संख्या 396ठ रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 989ठ रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध क्षेत्रफल 40.00 है0 में से 20.00 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 10,80,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 20.10.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244/DDN\_006/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/ई0नीला0/2024-25, दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (बृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 13.12.2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 16.12.2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5759/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2024-25, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 7,66,80,000.00 (रू0 सात करोड छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,91,70,000.00 (रू0 एक करोड इक्कानवें लाख सत्तर हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 रू0 7,56,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,89,00,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 43590998071, दिनांक 04.12.2024, रू0 1,89,00,000.00 (रू0 एक करोड नवासी लाख मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,91,70,000.00 - 1,89,00,000.00 = 2,70,000.00) रू0 2,70,000.00 (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 17.12.2024 के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,91,70,000.00 को ई-चालान संख्या 08531224E0034398, दिनांक 16.12.2024 के द्वारा विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर जमा चालान की प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/4 के खसरा संख्या 396ठ रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 989ठ रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध क्षेत्रफल 40.00 है0 में से 20.00 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु

चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राक्धानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(रिजपाल लेघा)  
निदेशक  
012

तददिनांकित।

संख्या 600 / उप0ख0 (ईनि)-V/भू0खनि0नि0/143/2024-25,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर।

(रिजपाल लेघा)  
निदेशक  
012

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 6008

/उप0ख0 (ईनि)-V/भू0खनि0नि0/141/2024-25,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

**आशय पत्र (Letter of Intent)**

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645/र0ख0 लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0 खनि0नि0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655/DDN\_003/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/1 के खसरा संख्या 396ठ रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 989ठ रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध क्षेत्रफल 100.00 है0 में से 20.00 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 10,80,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/ नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 20.10.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा को निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244/DDN\_003/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/ई0नीला0/2024-25, दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (बृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 13.12.2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 16.12.2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, वार्ड नं0 05, सुभाषनगर, लालकुंआ, नैनीताल H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5758/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2024-25, दिनांक 16.12.2024 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 7,66,80,000.00 (रू0 सात करोड छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,91,70,000.00 (रू0 एक करोड इक्कानवें लाख सत्तर हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,89,00,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 43589858957, दिनांक 04.12.2024, रू0 1,89,00,000.00 (रू0 एक करोड नवासी लाख मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,91,70,000.00 - 1,89,00,000.00 = 2,70,000.00) रू0 2,70,000.00 (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 17.12.2024 के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,91,70,000.00 को ई-चालान संख्या 08531224E0034388, दिनांक 16.12.2024 के द्वारा विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर जमा चालान की प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, वार्ड नं0 05, सुभाषनगर, लालकुंआ, नैनीताल द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, वार्ड नं0 05, सुभाषनगर, लालकुंआ, नैनीताल के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/1 के खसरा संख्या 396ठ रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 989ठ रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध क्षेत्रफल 100.00 है0 में से 20.00 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा

स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रोत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

संख्या 6008 / उप0ख0 (ईनि)-V / भू0खनि0नि0 / 141 / 2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. मैसर्स, न्यू शुभम स्टोन क्रेशर एल0एल0पी0, वार्ड नं0 05, सुभाषनगर, लालकुंआ, नैनीताल।

Recd  
मौजूद  
दस्तावेज

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०८

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०८

संख्या 6013 /उप0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0नि0/145/2024-25,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645/र0ख0ला0/ई0नी0/ वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655/DDN\_004/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/2 के खसरा सं0 396ठ रकवा 6.628 है0, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है0, खसरा संख्या 989ठ रकवा 98.368 है0, कुल रकवा 150.332 है0 उपलब्ध क्षेत्रफल 80.00 है0 में से 20.00 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 10,80,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र, दिनांक 20.11.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244/DDN\_004/उ0ख0(ईनि)V/भू0खनि0निदेशा0/2024-25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (वृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार चौधरी इन्टरप्राइजेज, पता-ग्राम फतेहगढ़ कुण्ड का लाम्बा, अजमेर राजस्थान H। बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5685/उ0ख0(ईनि)-V/भू0खनि0निदेशा0/2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के क्रम में H। बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 7,77,60,000.00 (रू0 सात करोड़ सतहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,94,40,000.00 (रू0 एक करोड़ चौरानबे लाख चालीस हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार :।।। बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 7,56,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,89,00,000.00 के सापेक्ष आई0सी0आई0सी0आई बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 22018333, दिनांक 16.11.2024, रू0 1,89,00,000.00 (रू0 एक करोड़ नवासी लाख मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,94,40,000.00-1,89,00,000.00 =5,40,000.00) रू0 5,40,000.00 (रू0 पांच लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H। बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H। बोलीदाता के पत्र दिनांक 21.12.2024 के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,94,40,000.00 ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036846, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036871, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036904, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036935, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036957, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0036989, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0037013, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0037030, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0037053, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00, ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0037075, दिनांक 17.12.2024, रू0 19,00,000.00 एवं ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0037105, दिनांक 17.12.2024, रू0 4,40,000.00 निदेशालय में जमा की गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार 111 बोलीदाता चौधरी इन्टरप्राइजेज, पता-ग्राम फतेहगढ़ कुण्ड का लाम्बा, अजमेर राजस्थान द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार चौधरी इन्टरप्राइजेज, पता-ग्राम फतेहगढ़ कुण्ड का लाम्बा, अजमेर राजस्थान के प्लॉ में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/2 के खसरा सं० 3968 रकवा 6.628 है०, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है०, खसरा संख्या 9898 रकवा 98.368 है०, कुल रकवा 150.332 है० उपलब्ध क्षेत्रफल 80.00 है० में से 20.00 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन०बी०डब्ल्यू०एल० (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन०बी०डब्ल्यू०एल० (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर०क्यू०पी० से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू० 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा० न्यायालयों एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निघन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रोत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०/८

संख्या 6013 / उप०ख० (ईनि)-V/मू०खनि०नि०/145/2024-25, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. चौधरी इन्टरप्राइजेज, पता-ग्राम फतेहगढ़ कुण्ड का लाम्बा, अजमेर राजस्थान।

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
०/८

ग्राहक क्रिया  
28/12/24

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 6011 / उपखण्ड (ईनि)-V / भूखनिनि / 144 / 2024-25,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977 / VII-A-1 / 2023-24ख / 2007, दिनांक 18 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645 / २०२४ला० / ई०नी० / वि०का०ज्ञ० / भूखनिनि / 2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655 / DDN\_001 / भूखनिनि / ई०नीला० / 2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर, ग्राम ढकरानी मण्डी गंगमेवा, यमुना नदी भाग 21/3/1 के खसरा सं० 02, 936, 970, 971, 618 व 01, कुल रकवा 172.383 है० उपलब्ध क्षेत्रफल 50.00 है० में से 25.00 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 13,50,000 टन एवं आधार मूल्य रू० 9,45,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/नागरिकों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के सम्मक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र, दिनांक 20.11.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244 / DDN\_001 / उपखण्ड(ईनि)V / भूखनिनि/निदेशा० / 2024-25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (वृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के सम्मक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार सालासर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, ग्राम खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5684 / उपखण्ड(ईनि)-V / भूखनिनि/निदेशा० / 2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 9,73,35,000.00 (रू० नौ करोड़ तिरहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू० 2,43,33,750.00 (रू० दो करोड़ तैतालीस लाख तैतीस हजार सात सौ पचास मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू० 9,45,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू० 2,36,25,000.00 के सापेक्ष कोटक महिन्द्रा बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 6849831744, दिनांक 03.12.2024, रू० 2,36,25,000.00 (रू० दो करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू० 2,43,33,750.00 - 2,36,25,000.00 = 7,08,750.00) रू० 7,08,750.00 (रू० सात लाख आठ हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 13.12.2024 द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू० 2,43,33,750.00 ट्रेजरी चालान संख्या 08531224E0028777, दिनांक 13.12.2024, के द्वारा विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया गया है, की प्रति निदेशालय में उपलब्ध कराई गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता सालासर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, ग्राम खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सालासर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, ग्राम खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर, ग्राम ढकरानी मण्डी गंगमेवा, यमुना नदी भाग 21/3/1 के खसरा सं० 02, 936, 970, 971, 618 व 01, कुल रकवा 172.383 है० उपलब्ध क्षेत्रफल 50.00 है० में से 25.00 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि

हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की घनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतिशत अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपशान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रोत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
o/c

संख्या 6011 /उप0ख0 (ईनि)-V/भू0खनि0नि0/144/2024-25, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।
4. सालासर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, ग्राम खानक, तहसील तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा।

आशयपत्र पर  
Rajesh Kumar

(राजपाल लेघा)  
निदेशक  
o/c

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
‘खनिज भवन’ भोपालपानी, देहरादून।

संख्या /उपखण्ड (ईनि)-V/मूखनि0नि0/142/2024-25,

दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4645/२०ख० लॉ०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/मू० खनि०नि०/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा विज्ञापितकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4655/DDN\_005/मू०खनि०नि०/ई०नीला०/2024-25, दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/3 के खसरा संख्या 396ट रकवा 6.628 है०, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है०, खसरा संख्या 989ट रकवा 98.368 है०, कुल रकवा 150.332 है० उपलब्ध क्षेत्रफल 60.00 है० में से 20.00 है० उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 10,80,000 टन एवं आधार मूल्य रू० 7,56,00,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से अधिक क्षेत्रफल के उपखनिज लॉट को भारत के नागरिक/ नागरिकों की समितियों/ फर्म/ कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 19.11.2024 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 20.10.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा को निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 5244/DDN\_005/उ०ख०(ईनि)-V/मू०खनि०निदेशा०/ई०नीला०/2024-25, दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 05.12.2024 (बृहस्पतिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा का परिणाम दिनांक 13.12.2024 एवं वित्तीय निविदा का परिणाम दिनांक 16.12.2024 को घोषित किया गया।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल०एल०पी०, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर H1 बोलीदाता घोषित होने के उपरान्त निदेशालय के वित्तीय निविदा के परिणाम संख्या 5757/उ०ख०(ईनि)-V/मू०खनि०निदेशा०/2024-25, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के क्रम में H1 बोलीदाता द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 7,66,80,000.00 (रू० सात करोड छियासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू० 1,91,70,000.00 (रू० एक करोड इक्कानवें लाख सत्तर हजार मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्रावधानानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू० रू० 7,56,00,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू० 1,89,00,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ०डी०आर० संख्या 43589759321, दिनांक 04.12.2024, रू० 1,89,00,000.00 (रू० एक करोड नवासी लाख मात्र) निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू० 1,91,70,000.00 - 1,89,00,000.00 = 2,70,000.00) रू० 2,70,000.00 (रू० दो लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि जमा कराये जाने हेतु H1 बोलीदाता को निर्देशित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में H1 बोलीदाता के पत्र दिनांक 17.12.2024 के द्वारा उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि रू० 1,91,70,000.00 को ई-चालान संख्या 08531224E0034459, दिनांक 16.12.2024 के द्वारा विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कर जमा चालान की प्रति निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल०एल०पी०, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर द्वारा प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत जमा कराये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल०एल०पी०, ग्राम हल्दुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम डाकपत्थर, नवाबगढ़, मण्डीगंगमेवा एवं भीमावाला, यमुना नदी 21/1/3 के खसरा संख्या 396ट रकवा 6.628 है०, खसरा संख्या 986 रकवा 45.336 है०, खसरा संख्या 989ट रकवा 98.368 है०, कुल रकवा 150.332 है० उपलब्ध क्षेत्रफल 60.00 है० में से 20.00 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/

खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही 06 (छः) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
2. नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।
3. नियमावली के नियम 25(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्लू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance) व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
4. नियमावली के नियम 25(3) एवं 31(4) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर 04 प्रतियाँ अनुमोदन हेतु खनन योजना अनुमोदन शुल्क रू0 50,000/- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तदनुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
5. नियमावली के नियम 25(5) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. नियमावली के नियम 25(6) के प्राविधानानुसार सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. नियमावली के नियम 25(8) के प्राविधानानुसार आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(राजपाल लेघा)  
निदेशक

संख्या 6009 / उप0ख0 (ईनि)-V / मू0खनि0नि0 / 142 / 2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद देहरादून।

4. मैसर्स लक्ष्मी स्टोन इण्डस्ट्रीज एल0एल0पी0, ग्राम हल्लुवा, तहसील सितारगंज जनपद उधमसिंहनगर

(राजपाल लेघा)  
निदेशक

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या- 1733 /VII-A-1/2024-24 (ख)/2007 टीसी0-1  
देहरादून: दिनांक: 8 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 यथासंशोधित 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

- |                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1  | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।        |
| नियम 7 का संशोधन          | 2. | मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-2 के नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- |

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

नियम 7- जांच और प्रतिवेदन:-

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:-

1. उप जिलाधिकारी- अध्यक्ष।
2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) - सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि -सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी - सदस्य सचिव।

परन्तु उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम-66 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) उप जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

प्रतिस्थापित नियम

नियम 7- जांच और प्रतिवेदन:-

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, नये खनन क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु समिति निम्नवत होगी:-

1. जिला खान अधिकारी - अध्यक्ष।
2. तहसीलदार - सदस्य।
3. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (मात्र नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु) - सदस्य।
4. सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी - सदस्य।
5. भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (मात्र स्वस्थाने चट्टानों आधारित खनन क्षेत्रों हेतु) - सदस्य।

(2) स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, क्वार्ट्जाईट, पत्थर/बोल्डर्स, स्लेट आदि के खनन पट्टा हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

(3) नदीतल उपखनिज क्षेत्रों में जिला खान

सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म देहरादून को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 06 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जाच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में सयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक/निदेशक को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

नियम 8 के उपनियम (क) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-2 के नियम 08 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

नियम 8- खनन पट्टे की स्वीकृति:-

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

नियम 8 - खनन पट्टे की स्वीकृति:-

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये निजी नाप भूमि में स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम, बोल्टर्स/पत्थर/स्लेट/क्वार्टजाईट आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तु महानिदेशक/निदेशक द्वारा इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुये नदी तल में स्थित निजी नाप भूमि/राजस्व भूमि /वन भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला खान अधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, 06 माह की अवधि के लिए तथा खनन लॉट के नेशनल पार्क/सँचुरी आदि के 10 कि0मी0 की परिधि में होने की दशा में 01 वर्ष हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा। निर्धारित समयवधि में आशय पत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साध्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक/निदेशक

द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यदि आशयपत्रधारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशयपत्रधारक के द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में आंगणित रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (जो लागू हो) की धनराशि का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त जमा की जायेगी।

नियम 8 में  
उपनियम  
(ग) का  
अंतःस्थापन

4. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-2 के नियम 8 के उपनियम (ख) के पश्चात उपनियम (ग) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 8- खनन पट्टे की स्वीकृति:-

(ग) निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुनर्निर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण हेतु पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 13  
के उपनियम  
(4)  
का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-2 के नियम 13 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 13 - पट्टाविलेख का निष्पादन:-

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

नियम 13 - पट्टाविलेख का निष्पादन:-

(4) राजस्व व वन भूमि क्षेत्रों में निगमों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/नवीनीकरण के उपरान्त निगमों के द्वारा एक माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 महानिदेशक/निदेशक के साथ हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा पट्टे की अवधि की गणना एम0ओ0यू0 की तिथि से की जायेगी।

नियम 15 में  
उपनियम  
(4) का  
अंतःस्थापन

6. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-2 के नियम 15 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 15 - पट्टे का संक्रमण (Transfer)

(4) ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से नदीतल में स्वीकृत खनन पट्टों का संक्रमण (Transfer) की अनुमति सम्बन्धित जिला खान अधिकारी की संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में महानिदेशक/निदेशक द्वारा खनन पट्टे की अवशेष अवधि तक प्रदान की जायेगी तथा तत्पश्चात अनुपूरक पट्टाविलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसके लिये रू0 2.00 लाख का शुल्क देय होगा।

नियम 18 में  
उपनियम  
(4) का  
अंतःस्थापन

7. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-3 के नियम 18 के उपनियम (3) के पश्चात् उपनियम (4) को निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
- नियम-18 स्वामित्व
- (4) प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी के अतिरिक्त निम्न शुल्क देय होंगे—
2. स्टाम्प शुल्क - रायल्टी का 02 प्रतिशत।
  3. जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान- रायल्टी का 15 प्रतिशत
  4. क्षतिपूर्ति - रायल्टी का 10 प्रतिशत

नियम 20  
के उपनियम  
(4)  
का संशोधन

8. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-4 के नियम 20 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

नियम-20 ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र  
की घोषणा—

(4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग, खनन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो, के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सीमांकन जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं जिलाधिकारी के द्वारा उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को, ई-नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण संयुक्त निदेशक भूविज्ञान के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित भूवैज्ञानिक/सहायक, भूवैज्ञानिक सदस्य होंगे। उक्त समिति चिन्हित खनिज क्षेत्रों

नियम-20 ई-नीलामी में पट्टे के लिये क्षेत्र  
की घोषणा—

(4) उप नियम (1) के अधीन नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन क्षेत्र या क्षेत्रों को घोषित किये जाने से पूर्व नियमावली के अध्याय-2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण, जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स सहित, निक्षेपित उपखनिज की मात्रा, गुणवत्ता एवं पहुंच मार्ग की उपलब्धता आदि का निर्धारण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई-नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

परन्तु राजस्व/वन भूमि में अवस्थित स्वस्थानें चट्टान किस्म के उपखनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में विभागीय गठित भूवैज्ञानिक दल के द्वारा या बाह्य स्रोत से किया जायेगा। उक्त चिन्हित क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन नियमावली के अध्याय-2 के नियम 07 के अनुसार गठित समिति के द्वारा किया जायेगा तथा गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखों सहित जिला खान अधिकारी के द्वारा महानिदेशक/निदेशक को ई-नीलामी से आवंटन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

की स्थलीय निरीक्षण आख्या मय खसरा खतौनी, मानचित्र आदि अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को ई-नीलामी से आवंटन की अग्रतः कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

नियम 25 में  
उपनियम 10  
एवं 11 का  
अंतःस्थापन

9. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-4 के नियम 25 के उपनियम 9 के पश्चात उपनियम 10 एवं 11 को निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 25- ई-नीलामी द्वारा पट्टा दिया जाना :-

10. यदि राज्य सरकार के द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को पुर्ननिर्धारित किया जाता है तो पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की पट्टाधनराशि में उसी अनुपात में वृद्धि होगी।

11. ई-निविदा सह ई-नीलामी के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु पट्टाधनराशि का निर्धारण खनन पट्टे के अन्तिम वर्ष की वार्षिक पट्टाधनराशि में 20 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को यथासमय पुर्ननिर्धारित किये जाने की दशा में पट्टाधनराशि में भी उसी अनुपात में अतिरिक्त रूप से वृद्धि होगी) की वृद्धि के साथ किया जायेगा। खनन पट्टे का नवीनीकरण पट्टाधारक के द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति से अधिकतम 06 माह पूर्व जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1(क) में आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

नियम 31 में  
उपनियम  
(9) का  
अंतःस्थापन

10. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-5 के नियम 31 के उपनियम (8) के पश्चात उपनियम (9) को निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 31-खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी:-

(9) आशय पत्र पर स्वीकृत ऐसे उपखनिज क्षेत्र, जिनमें अपेक्षित अनुमतियाँ निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त करने में किन्ही कारणोंवश समय लगने की संभावना हो, की अनुमति प्राप्त होने तक नदियों में मलवे/आर0बी0एम0 की सफाई/ निकासी रिवर ड्रेजिंग नीति के अधीन की जायेगी। सम्बन्धित आशयपत्र धारक के स्वयं रिवर ड्रेजिंग कार्य करने हेतु इच्छुक होने की दशा में रायल्टी का 02 गुना के समतुल्य धनराशि एवं नियमानुसार अन्य कर जमा करने की दशा में महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। आशयपत्र धारक के इच्छुक न होने की दशा में समय-समय पर प्रभावी उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रिवर ड्रेजिंग की कार्यवाही की जायेगी।

नियम 50  
के उपनियम  
6 का  
संशोधन

11. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम-50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें

6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में

नियम-50 खनन पट्टा हेतु अतिरिक्त शर्तें

6. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बड़े आकार के बोल्टर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों

बड़े आकार के बोल्टर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

को निकालने आदि की दशा में अनुमति सम्बन्धित तहसीलदार, वन क्षेत्राधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर खान अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

नियम 53  
का संशोधन

12. मूल नीति के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-6 के नियम 53 के उपनियम 1 को विलोपित करते हुए स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. उपरोक्त नियम-52(2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3. नियम-51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान,

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में सड़क निर्माण, स्थल विकसित करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, आवासीय भवनों के बेसमेंट की खुदाई से निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं भूवैज्ञानिक की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान निरीक्षक/खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु बिना सूक्ष्म अनुमति/सूचना के कार्य किये जाने पर उक्त कार्य अवैध कार्य की श्रेणी में आयेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. ईट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान के लिये अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान

साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/ परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय-2 के नियम-7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति उक्त जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्त और निबन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जाने में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानों (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड,

अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

3. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4. स्वस्थानों (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं

बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटेरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटेरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी०जी०बी०आर०(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्टर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रायल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी०जी०बी०आर० (ग्रेफ) आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्टर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु आंगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। यह प्रक्रिया रोड कटिंग के दौरान अवशेष मलवा, भूस्खलित मलवा, जलाशयों/झील/तालाब/बैराज/डैम/नहर/नाला में जमा मलवा की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी, इस हेतु उनके स्वामित्वों वाले विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 53 में  
उपनियम 7,  
8, 9 एवं 10  
का  
अंतःस्थापन

13. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-6 के नियम 53 के उपनियम 5 के पश्चात उपनियम 6, 7, 8 एवं 9 को निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 53. प्रार्थना पत्र का निस्तारण:-

6. नदीतल से बाहर निजी नाप भूमि में समतलीकरण, रिसाईकलिंग टैंक/वाटर स्टोरेज टैंक एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब के निर्माण (मत्स्य तालाब निर्माण हेतु मत्स्य पालन विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त) के दौरान निकलने वाले उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर, मिट्टी, जिसका व्यवसायिक उपयोग किया जाना हो, के लिए अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति आदि प्राप्ति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा 06 माह की अवधि हेतु आराय पत्र स्वीकृत किया जायेगा तथा उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा शासन के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

7. वर्षाकाल के दौरान निजी भूमि में गंधेरो से मलवा/पत्थर जमा होने की दशा में सम्बन्धित भूमिधर के द्वारा जमा मलवे/पत्थर को हटाने हेतु आवेदन करने पर निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा जिला खान अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या के आधार पर अधिकतम 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी०जी०बी०आर० (ग्रेफ), बी०आर०ओ०, आई०टी०बी०पी० के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा

स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1 में आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति हेतु खनन पट्टा का आशय पत्र निर्गत किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति के उपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा परियोजना की समाप्ति अवधि तक अथवा 05 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, तक के लिये खनन पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि उनके द्वारा खनन पट्टे से निकलने वाले उपखनिजों का उपयोग परियोजना के इतर नहीं किया जायेगा।

9. राजस्व एवं निजी नाप भूमि में साधारण मिट्टी/सिल्ट की खुदाई अधिकतम 2.0 मी0 गहराई तक (भरान हेतु) किये जाने तथा उसका अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित आवेदक के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रॉयल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा पदोपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त क्रियाकलाप खनन की श्रेणी में नहीं आयेगें तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

नियम 57  
के उपनियम  
(1) का  
संशोधन

14. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-7 के नियम 57 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति नियम 57. अनधिकृत खनन के लिये शक्ति

(1) जो कोई भी नियम-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

(1) जो कोई भी नियम-3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनिज की मात्रा पर रायल्टी का 03 (तीन) गुना तथा तत्पश्चात रायल्टी का 04 (चार) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

नियम 69  
के उपनियम  
(4)  
का संशोधन

15. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-8 के नियम 69 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/ निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :-

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :-

(4) उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों में खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय-2 के अनुसार आवंटन किये जाने में प्रथम वरीयता दी जायेगी। यदि वह खनन पट्टा चाहने हेतु इच्छुक नहीं है तो ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। किसी कारणवश यदि ठेकेदार का अनुबन्ध स्वीकृत अवधि से पूर्व निरस्त होता है तो खनन पट्टा भी स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- नियम 69 में  
उपनियम  
(6) का  
अंतःस्थापन
16. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-8 के नियम 69 के उपनियम (5) के पश्चात उपनियम (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-  
नियम 69. स्वामित्व या अपरिहार्य माटक ठेकेदार/निविदाकार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :-  
(6) रिक्त खनन क्षेत्र से निगमों के वे क्षेत्र, जहां पर कोई आवेदन न किया गया हो अथवा अन्य खनन उपलब्धता वाले क्षेत्र (राजस्व/वन) अभिप्रेत होंगे।
- नियम 70 में  
उपनियम  
(10) का  
अंतःस्थापन
17. मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय-8 के नियम 70 के उपनियम (9) के पश्चात उपनियम (10) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-  
नियम 70- खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन:-  
(10) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई-रवन्ना पोर्टल में समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई-रवन्ना प्रपत्रों के दुरुप्रयोग को रोके जाने के उद्देश्य से ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्योरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

आज्ञा से,  
  
(बृजेश कुमार संत)  
सचिव

**IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND**  
**AT NAINITAL**

**HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE SRI MANOJ KUMAR TIWARI**  
**AND**  
**HON'BLE SRI JUSTICE VIVEK BHARTI SHARMA**

**WRIT PETITION (PIL) NO. 184 OF 2024**

**5<sup>TH</sup> DECEMBER, 2024**

Satendra Singh Panwar ..... Petitioner

Versus

State of Uttarakhand & others ..... Respondents

Counsel for the petitioner : Mr. Mahesh Chandra Pant, learned counsel

Counsel for the respondents : Mr. P.C. Bisht, learned Additional Chief Standing Counsel for the State

**The Court made the following:**

**ORDER:** (per Hon'ble The Acting Chief Justice Shri Manoj Kumar Tiwari)

Petitioner has challenged validity of Sub-Rule (9) of Rule 31 of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, inserted vide Notification dated 08.10.2024.

2. Sub-Rule (9) of Rule 31 of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, which was added vide Notification dated 08.10.2024, is reproduced below :

नियम 31 में उपनियम (9) का अंतःस्थापन	10	<p>मूल नियमावली के विद्यमान अध्याय 5 के नियम 31 के उपनियम (8) के पर्याय उपनियम (9) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-</p> <p>नियम 31-खनन संक्रियाओं एक माह के भीतर प्रारम्भ होगी :-</p> <p>(9) आशय पत्र पर स्वीकृत ऐसे उपखनिज क्षेत्र, जिनमें अपेक्षित अनुमतियाँ निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त करने में किन्हीं कारणोंवश समय लगने की संभावना हो, की अनुमति प्राप्त होने तक नदियों में मलवे/आर0बी0एम0 की सफाई/निकासी रिवर ड्रेजिंग नीति के अधीन की जायेगी। सम्बन्धित आशयपत्र धारक के स्वयं रिवर ड्रेजिंग कार्य करने हेतु इच्छुक होने की दशा में रायल्टी का 02 गुना के समतुल्य धनराशि एवं नियमानुसार अन्य कर जमा करने की दशा में महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। आशयपत्र धारक के इच्छुक न होने की दशा में समय-समय पर प्रभावी उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार रिवर ड्रेजिंग की कार्यवाही की जायेगी।</p>
--------------------------------------	----	---

3. The Sub-Rule (9) of Rule 31 permits carrying on of mining operations by invoking dredging policy by persons to whom Letter of Intent has been issued for grant of mining lease under mining policy, but who are unable to undertake mining operation for want of necessary clearances from the concerned agencies. This permission will however last only till necessary clearance is received from concerned agencies.

4. Petitioner contends that the State Government has provided back door entry to Letter of Intent holders who are unable to get necessary permission from concerned agencies to undertake mining operation under the cover of dredging policy. He further contends that by invoking Sub-Rule (9) of Rule 31 of the aforesaid Rules, mining has been permitted in all rivers within State of Uttarakhand even though necessary permission has not been granted by Ministry of Environment and Forest, Government of India, and other concerned agencies. He further submits that such mining is done by using heavy machinery, including pokland machine and excavators, which is not permissible under the

mining policy and also under the provisions of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023.

5. Learned State Counsel defends Sub-Rule (9) of Rule 31 by contending that by virtue of said provision, only such person is permitted to undertake mining operation who has been issued a Letter of Intent, and who is ready to pay twice the amount payable as royalty. He further submits that dredging is done to channelize the rivers so that they do not change their course and do not breach their banks during heavy rains lest it may result in loss of life and property of persons residing in the nearby towns / villages. He further submits that the impugned provision is meant to ensure that the person to whom Letter of Intent has been granted does not suffer losses due to delay in grant of clearance for mining by concerned agencies. He submits that Rule 31(9) takes care of the interest of such person and he can carry on mining till the time necessary clearances are granted by concerned authorities. He submits that if some one else is permitted to remove River Bed Material under Dredging Policy, it would be unjust for the person who is already granted Letter of Intent for mining from the same river.

6. Learned counsel for the petitioner has drawn our attention to order dated 14.12.2023, passed in ***Writ Petition (PIL) No. 169 of 2022, Gagan Parashar Vs State of Uttarakhand and others***, for contending that ban imposed by

this Court in use of machinery for removal of River Bed Material was lifted only in respect of dredging operations and JCB / Pokland machines cannot be used for excavation from river bed under the mining policy.

7. Paragraphs 21 and 22 of the order dated 14.12.2023, are extracted hereinbelow :

"21. After considering the rival submissions raised by learned Counsel for the parties and on perusal of materials available on record, we are of the considered opinion that the order dated 19.12.2022, passed by this Court, deserves to be modified. Absolute ban on use of machinery in dredging operations may not be in public interest. However, we make it clear that use of heavy machinery during dredging cannot be left unregulated and the State Government is under a duty to devise ways and means to ensure that biodiversity is maintained in the river bed and no environmental degradation is caused. The State Government shall issue necessary instructions to check the menace of illegal mining and to regulate the use of heavy machinery in dredging operations. State Government shall also consider imposition of cess on the sale proceeds of RBM for creating a fund, which shall be utilized for restoring ecology/biodiversity, flora, fauna, etc. of the areas affected by dredging operations.

22. Having regard to the assurance given by the learned Chief Standing Counsel on behalf of the State, as noted above, and also the safeguards mentioned in the SOP, which is enclosed with the supplementary affidavit filed by the State on 13.12.2023, we modify the order dated 19.12.2022 and lift the ban imposed on use of machines till further orders. We, however, make it clear that this modification will apply to dredging operations

only and violation of the assurances given to us by learned Chief Standing Counsel shall be viewed seriously.”

8. Let counter-affidavits be filed by the respondents within four weeks.

9. List the matter on 08.01.2025.

10. In the meantime, respondents shall ensure that in cases where mining is permitted by invoking Rule 31(9) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, JCB machines or excavators shall not be used for removal of River Bed Material and the River Bed Material shall be removed only as per Sub-Rule (6) of Rule 50 of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023.

**MANOJ KUMAR TIWARI, A.C.J.**

**VIVEK BHARTI SHARMA, J.**

Dt: 5<sup>TH</sup> DECEMBER, 2024  
Neg:

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
			<p>WPPIL No. 184 of 2024            With            WPPIL No. 185 of 2024  <u><b>Hon'ble G. Narendar, C.J.</b></u>  <u><b>Hon'ble Alok Mahra, J.</b></u></p> <p>Mr. Mahesh Chandra Pant, learned counsel for the petitioner.</p> <p>2. Mr. C.S. Rawat, learned Chief Standing Counsel alongwith Mr. P.C. Bisht, learned Standing Counsel for the State.</p> <p>3. Mr. Vijay Bhatt, learned counsel for the applicant in intervention application (IA No. 5 of 2025).</p> <p>4. Mr. Rajendra Dobhal, learned Senior Counsel, assisted by Mr. Subhang Dobhal, learned counsel for the applicant in intervention application (IA No. 5 of 2025).</p> <p>5. List this case on 25.03.2025.</p> <p>6. Secretary, Irrigation to appear virtually.</p> <p><b>(Alok Mahra, J.)</b>            24.03.2025            Ujjwal</p> <p><b>(G. Narendar, C.J.)</b>            24.03.2025</p>

- 10 का.आ. 562(अ) तारीख 26 फरवरी 2014;
11. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी 2014;
12. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून 2014;
13. का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2014;
14. का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अक्टूबर 2014
15. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसम्बर 2014;
16. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015;
17. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015;
18. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल 2015;
19. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल 2015;
20. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल 2015;
21. का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई 2015;

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2016

**S.O. 141(E).**—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September 2006, was published under sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, *vide* number S.O. 2588(E), dated 22<sup>nd</sup> September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication on which copies of Gazette containing the said notification were available to the public;

And whereas, copies of said notification were made available to the public on 22<sup>nd</sup> September 2015;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, in pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated the 27<sup>th</sup> February, 2012 in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease;

And whereas, as a result of the above said Order of Hon'ble Supreme Court, the number of cases which are now required to obtain prior environmental clearance has increased substantially;

And whereas, the Hon'ble National Green Tribunal, *vide* its order dated the 13<sup>th</sup> January, 2015 in the matter regarding sand mining has directed for making a policy on environmental clearance for mining leases in cluster for minor minerals;

And whereas, the State Governments have represented for streamlining the process of environmental clearance for mining of minor mineral;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined out material from source to destination;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

**In the said notification,-**

(a) in paragraph 2, after the words "in the said Schedule", the following words shall be inserted, namely:-  
"and at District level, the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category 'B2' for mining of minor minerals in the said Schedule";

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

**"3 A. District Level Environment Impact Assessment Authority:-**

- (1) A District Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the DEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of four members including a Chairperson and a Member-Secretary.
  - (2) The District Magistrate or District Collector shall be the Chairperson of the DEIAA.
  - (3) The Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter of the concerned district of the State shall be the Member-Secretary of the DEIAA.
  - (4) The other two members of the DEIAA shall be the senior most Divisional Forest Officer and one expert. The expert shall be nominated by the Divisional Commissioner of the Division or Chief Conservator of Forest, as the case may be. The term and qualifications of the expert fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.
  - (5) The members of the DEIAA who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert member.
  - (6) The District Level Expert Appraisal Committee hereinafter referred to as the DEAC shall comprise of eleven members, including a Chairman and a Member-Secretary.
  - (7) The senior most Executive Engineer, Irrigation Department in the district of respective State Governments or Union territory Administration shall be the Chairperson of the DEAC.
  - (8) The Assistant Director or Deputy Director of the Department of Mines and Geology or District Mines Officer or Geologist of the district shall be the Member-Secretary of the DEAC in that order.
  - (9) A representative of the State Pollution Control Board or Committee, senior most Sub-Divisional Officer (Forest) in the district, representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department, one occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector, Engineer from Zila Parishad, and three expert members to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest, as the case may be, shall be the other members of the DEAC. The term and qualifications of the experts fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.
  - (10) The members of the DEAC who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert members.
  - (11) The District Magistrate or District Collector shall notify an agency to act as Secretariat for the DEIAA and the DEAC and shall provide all financial and logistic support for their statutory functions.
  - (12) The DEIAA and DEAC shall exercise the powers and follow the procedure as specified in the said notification, as amended from time to time.
  - (13) The DEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail." ;
- (c) in paragraph 4, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-  
"(iv) The 'B2' Category projects pertaining to mining of minor mineral of lease area less than or equal to five hectare shall require prior environmental clearance from DEIAA. The DEIAA shall base its decision on the recommendations of DEAC, as constituted for this notification." ;
- (d) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

**"5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-**

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government, SEACs at the State or Union territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category 'A', 'B1 and B2' and 'B2' projects for mining of minor minerals of lease area less than and equal to five hectare respectively. EAC, SEACs and DEACs shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union

territory Administration with identical composition. DEAC at the district level shall be constituted by the Central Government as per the composition given in paragraph 3 A.

(b) The Central Government may with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administration constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost.

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years.

(d) The authorised members of the EAC, SEACs and DEACs concerned, may inspect any site connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought for the purpose of screening or scoping or appraisal with prior notice of at least seven days to the project proponent who shall provide necessary facilities for the inspection.

(e) The EAC, SEACs and DEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.”;

(e) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

**\*6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-**

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II after the identification of prospective site (s) for the project and/or activities to which the application relates; and in Form 1M for mining of minor minerals up to five hectare under Category 'B2' projects, as given in Appendix VIII, before commencing any construction activity, or preparation of land, or mining at the site by the project proponent. The project proponent shall furnish along with the application, a copy of the pre-feasibility project report, in addition to Form 1, Form 1A, and Form 1M; and in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule), a copy of the conceptual plan shall be provided instead of pre-feasibility report.”;

(f) in paragraph 7,-

(i) in sub-paragraph (i), under the heading "I. Stage (1)- Screening:", the existing sub-paragraph shall be lettered as sub-paragraph "(A)" and after sub-paragraph as so lettered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(B) The cases as specified in Appendix IX shall be exempted from prior environmental clearance.”;

(ii) after sub-paragraph 7 (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

**\*7 (iii) Preparation of District Survey Report for Sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor Minerals:**

(a) The prescribed procedure for preparation of District Survey Report for sand mining or river bed mining and mining of other minor minerals is given in Appendix X.

(b) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI.”;

(g) in paragraph 8,-

(i) for the letters and word "EAC or SEAC", the words and letters "EAC or SEAC or DEAC" shall be substituted;

(ii) for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee" wherever they occur, the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(h) in paragraph 9, in sub-paragraph (i),-

for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(i) in paragraph 10, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(iv) The prescribed procedure for sand mining or river bed mining and monitoring is given in Appendix XII.”;

(j) in paragraph 11, -

for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(k) in the Schedule,-

(i) for item 1 (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	(i) Mining of minerals	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease  >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease  Asbestos mining	<50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease  ≤150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease	General Conditions shall apply except:  (i) for project or activity of mining of minor minerals of Category 'B2' (up to 25 ha of mining lease area);  (ii) River bed mining projects on account of inter-state boundary.

		irrespective of mining area		<p><b>Note:</b></p> <p>(1) Mineral prospecting is exempted. ”;</p> <p>(2) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI.”;</p> <p>(3) The mining leases which have obtained environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 1994 and Environment Impact Assessment Notification, 2006 shall not require fresh environmental clearance during renewal provided the project has valid and subsisting environmental clearance.</p>
(ii)	Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		

(I) after Appendix VI, the following appendices shall be inserted, namely:-

**“APPENDIX VII**

**(See paragraph 3 A)**

**Qualifications and terms for the Experts in DEIAA and DEAC**

- 1. Qualification:** The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA or M Sc Degree or (ii) in case of Engineering/ Technology/ Architectural discipline, 4 years formal training course together with prescribed practical training in the field leading to a B. Tech/ B.E./ B. Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. MBA etc.) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/ articulation and pass examinations conducted by the concerned professional associations (e.g. Chartered Accountancy) or (v) a University degree, followed by two years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/MPA etc.). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.
- 2. Expert:** A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 10 years of relevant experience in the field or with an advanced degree (e.g. Ph. D) in a concerned field with at least 5 years of relevant experience.
- 3. Age:** Below 70 years. However, in the event of non-availability of paucity of experts in a given field, the maximum age of a member may be allowed up to 75 years.
- 4. Fields:** Experts in Mining, Geology, Hydrology, Remote Sensing, Environment Quality, Environment Impact Assessment Process, Risk Assessment, Life Sciences, Marine Sciences, Forestry and Wildlife, Environmental Economics, Bio-diversity, and River Ecology.

5. **Tenure:** The maximum tenure of expert members shall be for two terms of three years each.
6. The Expert Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

**APPENDIX VIII**

(See paragraph 6)

**FORM I M****APPLICATION FOR MINING OF MINOR MINERALS UNDER CATEGORY 'B2' FOR LESS THAN AND EQUAL TO FIVE HECTARE****(II) Basic Information**

- (viii) Name of the Mining Lease site:
- (ix) Location / site (GPS Co-ordinates):
- (x) Size of the Mining Lease (Hectare):
- (xi) Capacity of Mining Lease (TPA):
- (xii) Period of Mining Lease:
- (xiii) Expected cost of the Project:
- (xiv) Contact Information:

**Environmental Sensitivity**

Sl. No.	Areas	Distance in kilometer / Details
1.	Distance of project site from nearest rail or road bridge over the concerned River, Rivulet, Nallah etc.	
2.	Distance from infrastructural facilities Railway line National Highway State Highway Major District Road Any Other Road Electric transmission line pole or tower Canal or check dam or reservoirs or lake or ponds In-take for drinking water pump house Intake for Irrigation canal pumps	
3.	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value	
4.	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests	
5.	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration	
6.	Inland, coastal, marine or underground waters	
7.	State, National boundaries	
8.	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas	
9.	Defence installations	
10.	Densely populated or built-up area, distance from nearest human habitation	
11.	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)	
12.	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)	
13.	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)	
14.	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)	

15.	Is proposed mining site located over or near fissure / fracture for ground water recharge	
16.	Whether the proposal involves approval or clearance under the following Regulations or Acts, namely:- (a) The Forest (Conservation) Act, 1980; (b) The Wildlife (Protection) Act, 1972; (c) The Coastal Regulation Zone Notification, 2011. If yes, details of the same and their status to be given.	
17.	Forest land involved (hectares)	
18.	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up? (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders or directions of the Court, if any, and its relevance with the proposed project.	

(Signature of Project Proponent  
Along with name and address)

#### APPENDIX – IX

[See paragraph 7(i) (B)]

#### EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require prior environmental clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds, bunds undertaken in Mahatama Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes, and community efforts.
6. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river, and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
7. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat *vide* notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14<sup>th</sup> February, 1990 of the Government of Gujarat.
8. Digging of well for irrigation or drinking water.
9. Digging of foundation for buildings not requiring prior environmental clearance.
10. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nala, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of District Collector or District Magistrate.
11. Activities declared by State Government under legislations or rules as non-mining activity with concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

#### APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

#### PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following:

Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

1. Introduction
2. Overview of Mining Activity in the District
3. The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity
4. Details of Royalty or Revenue received in last three years
5. Detail of Production of Sand or Bajari or minor mineral in last three years
6. Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District
7. General Profile of the District
8. Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

9. Physiography of the District
10. Rainfall: month-wise
11. Geology and Mineral Wealth

In addition to the above, the report shall contain the following:

- (a) District wise detail of river or stream and other sand source.
- (b) District wise availability of sand or gravel or aggregate resources.
- (c) District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the DEIAA with the assistance of Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department etc. in the district.

**Drainage system with description of main rivers**

S. No.	Name of the River	Area drained (Sq. Km)	% Area drained in the District

**Salient Features of Important Rivers and Streams:**

S. No.	Name of the River or Stream	Total Length in the District (in Km)	Place of origin	Altitude at Origin

Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

**Mineral Potential**

Boulder (MT)	Bajari (MT)	Sand (MT)	Total Mineable Mineral Potential (MT)

**Annual Deposition**


S. No.	River or Stream	Portion of the river or stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
Total for the District						

A Sub-Divisional Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate, Officers from Irrigation department, State Pollution Control Board or Committee, Forest department, Geology or mining officer shall visit each site for which environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof.

**Methodology adopted for calculation of Mineral Potential:**

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river or stream. For example in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up

to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

#### APPENDIX - XI

[See paragraph 7 (iii) (b)]

#### PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MINING OF MINOR MINERALS INCLUDING CLUSTER

The following policy shall be followed for environmental clearance of mining of minor minerals including cluster situation:-

- (1). The data provided by the States (Sustainable Sand Mining Guidelines) shows that most of the mining leases for minor minerals are of lease area less than 5 hectare. It is also reported that in hill States getting a stretch in river with area more than 5 hectare is very uncommon. So the size of lease for minor minerals including river sand mining will be determined by the States as per their circumstances.
- (2). The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan are required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be prepared by the State or State nominated Agency or group of project proponents in the Cluster or the project proponent in the cluster.
- (3). There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared.
- (4). Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.
- (5). The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance's of individual project proponents in that cluster.
- (6). A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area.
- (7). Form 1M, Pre-Feasibility Report and mine plan for Category 'B2' projects for mining of minor minerals shall be prepared by the Registered Qualified Person or Accredited Consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for Category 'A' and Category 'B1' projects shall be prepared by the accredited consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training.
- (8). The SEIAAs shall have supervisory jurisdiction over the DEIAAs and decisions of DEIAA shall be reviewed by the SEIAA without prejudice to any provisions under any existing law.

#### Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA / EMP	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
<b>EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease</b>								
0 - 5ha	'B2'	Form -1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency

> 5 ha and < 25 ha	'B2'	Form -L, PFR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	nominated by MoEFCC
≥ 25ha and < 50ha	'B1'	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
≥ 50 ha	'A'	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
<b>EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation</b>								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	'B2'	Form -IM, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	'B2'	Form -L, PFR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size < 50ha	'B1'	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease ≥ 50ha	'A'	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

## APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

## PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING OR RIVER BED MINING

## 1. The security feature of Transport Permit shall be as under:

- (a) Printed on Indian Banks' Association (IBA) approved Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code paper.
- (b) Unique Barcode.
- (c) Unique Quick Response (QR) code.
- (d) Fugitive Ink Background.
- (e) Invisible Ink Mark.
- (f) Void Pantograph.
- (g) Watermark.

## 2. Requirement at Mine Lease Site:

- (a) Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.

- (b) Large Size Plots (More than 5 hectare): CCTV camera, Personal Computer (PC), Internet Connection, Power Back up.
- (c) Access control of mine lease site.
- (d) Arrangement for weight or approximation of weight of mined out mineral on basis of volume of the trailer of vehicle used.

3. Scanning of Transport Permit or Receipt and Uploading on Server:

- (a) Website: Scanning of receipt on mining site can be done through barcode scanner and computer using the software:
- (b) Android Application: Scanning on mining site can be done using Android Application using smart phone. It will require internet availability on SIM card:
- (c) SMS: Transport Permit or Receipt shall be uploaded on server even by sending SMS through mobile. Once Transport Permit or Receipt get uploaded, an unique invoice code gets generated with its validity period.

4. Proposed working of the system:

The State Mining Department should print the Transport Permit or Receipt with security features enumerated at Paragraph 1 above and issue them to the mine lease holder through the District Collector. Once these Transport Permits or Receipts are issued, they would be uploaded on the server against that mine lease area. Each receipt should be preferably with pre-fixed quantity, so the total quantity gets determined for the receipts issued.

When the Transport Permit or Receipt barcode gets scanned and invoice is generated, that particular barcode gets used and its validity time is recorded on the server. So all the details of transporting of mined out material can be captured on the server and the Transport Permit or Receipt cannot be reused.

5. Checking On Route:

The staff deployed for the purpose of checking of vehicles carrying mined mineral should be in a position to check the validity of Transport Permit or Receipt by scanning them using website, Android Application and SMS.

6. Breakdown of Vehicle:

In case the Vehicle breakdown, the validity of Transport Permit or Receipt shall be extended by sending SMS by driver in specific format to report breakdown of vehicle. The server will register this information and register the breakdown. The State can also establish a call centre, which can register breakdowns of such vehicles and extend the validity period. The subsequent restart of the vehicle also should be similarly reported to the server or call centre.

7. Tracking of Vehicles:

The route of vehicle from source to destination can be tracked through the system using check points, RFID Tags, and GPS tracking.

8. Alerts or Report Generation and Action Review:

The system will enable the authorities to develop periodic report on different parameters like daily lifting report, vehicle log or history, lifting against allocation, and total lifting. The system can be used to generate auto mails or SMS. This will enable the District Collector or District Magistrate to get all the relevant details and shall enable the authority to block the scanning facility of any site found to be indulged in irregularity. Whenever any authority intercepts any vehicle transporting illegal sand, it shall get registered on the server and shall be mandatory for the officer to fill in the report on action taken. Every intercepted vehicle shall be tracked.

The monitoring of mined out mineral, environmental clearance conditions and enforcement of Environment Management Plan will be ensured by the DEIAA, SEIAA and the State Pollution Control Board or Committee. The monitoring arrangements envisaged above shall be put in place not later than three months. The monitoring of enforcement of environmental clearance conditions shall be done by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the agency nominated by the Ministry for the purpose.”

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers :-

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
7. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
8. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
9. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
10. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
11. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
12. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
13. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
14. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014;
15. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
16. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
17. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
18. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
19. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
20. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
21. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015.

